उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या - ए-9/ई-1/2024
दिनांक 17.12.2024

सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा–2024

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि : 17.12.2024
ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि : 17.01.2025
ऑनलाइन प्रस्तुत(सबमिट) आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अन्तिम तिथि : 24.01.2025

महत्वपूर्णः

(1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।

(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट https://otr.pariksha.nic.in से ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त कर सकते हैं।

(c) ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा-O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से सम्बन्धित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

(3) अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें।

(4) अभ्यर्थियों को अपने ऑन–लाइन आवेदन की हॉर्ड–कॉपी के साथ ऑन–लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंकपत्रों एवं प्रमाण–पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथासमय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

विशेष सूचना :– (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचनाओं/निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। अभ्यर्थियों को O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगें।

1. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की **Website https://uppsc.up.nic.in** पर भी उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में **'O.T.R. BASED APPLICATION' system** लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन–लाइन ही आवेदन करें।

ऑन–लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार ही आवेदन करें:–

आयोग की वेबसाइट **https://uppsc.up.nic.in** पर "ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर 'ON-LINE ADVERTISEMENTS' स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं–

(i) User Instructions
(ii) View Advertisement
(iii) Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन–लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन–लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

'ऑन–लाइन आवेदन' करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :–

प्रथम चरण :– 'Apply' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि :–

(i) **'Yes'** पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् **'Click here to Authenticate'** प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. (रजिस्टर्ड मोबाइल नं0/ई–मेल पर) अथवा O.T.R. पासवर्ड के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) **'No'** पर TICK करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर CLICK करता है तो:– (a). सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (**https://otr.pariksha.nic.in**) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। (b). ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण:– प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'APPLICANT DASHBOARD' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'SUBMIT DETAILS' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हता के सम्मुख कालम में YES या NO विकल्प का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण:– द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् 'FEE CONFIRMATION WINDOW' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for Fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का 'Home page' प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:–

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES-

उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसका प्रिन्ट **'प्रिन्टर आइकन'** पर क्लिक करके अवश्य प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate और 'Pending Payment' पर CLICK कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

नोटः– निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' 'प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्टआउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

चतुर्थ चरण– तृतीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर CLICK कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

(1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई.डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन सम्बन्धी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

(2) अपूर्ण ऑन–लाइन आवेदन–पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गयी है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं और चयनों से उसे प्रतिवारित (डिबार) किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(4) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत् परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।

(5) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise (sync) करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(6) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा और परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(7) त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(8) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

(9) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

2– आवेदन शुल्कः ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :–

(i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग	–	परीक्षा शुल्क रु. 100/– + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/– योग = रु. 125/–
(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति	–	परीक्षा शुल्क रु. 40/– + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/– योग = रु. 65/–
(iii) दिव्यांगजन	–	परीक्षा शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/– योग = रु. 25/–
(iv) भूतपूर्व सैनिक	–	परीक्षा शुल्क रु. 40/– + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/– योग = रु. 65/–
(v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी	–	अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

3. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा–2024 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन कराया जायेगा। चयन मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर होगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से अलग से दी जायेगी।

4. रिक्तियों की संख्याः– वर्तमान में रिक्तियों की संख्या **604** (सामान्य चयन–582, विशेष चयन–22) है, जिनका विवरण **परिशिष्ट–5** पर उपलब्ध है।

वेतनमानः– लेवल–10 (रु. 15600–39100)

नोटः विशेष परिस्थितियों में शासन के अनुरोध पर प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम आने के पूर्व तक उपर्युक्त विज्ञापित पदों की रिक्तियों की संख्या परिस्थिति/आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है।

5. आरक्षणः उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों/ उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों/उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार अनुमन्य है। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा–उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, महिला अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों और उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोटः– (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–5/2022/ 18/1/2008/47/का–2/2022, दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिंदु–5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है– दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते की पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

(2) शासनादेश संख्या–39 रिट/का–2/2019, दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या–18/1/99/का–2/2006, दिनांक 9 जनवरी, 2007 के प्रस्तर–4 में दिये गये प्राविधान, 'यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है', को रिट याचिका संख्या– 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने संबंधी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर–04 को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरूद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या–475/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

(3) ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनके श्रेणी का प्रमाण–पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय–ज्ञाप सं.–1/2019/4/1/2002/का–2/19टी0सी0–II, दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा।

(4) उ0प्र0 के आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो **O.T.R.** के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएँ **O.T.R.** से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी।

(5) आरक्षण/आयु मे छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

(6) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जायेगी।

(7) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगजन, कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(8) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

(9) अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु):– आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है, भी इस परीक्षा के लिये शासनादेश संख्या–22/10/1976– कार्मिक–2–85,

दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:–

(अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, **यदि**

(क) उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो।

(ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं

(ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी हो।

7. **<u>वैवाहिक प्रास्थिति</u>:**– ऐसे विवाहित पुरूष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

8. **शैक्षिक अर्हताएं:**

क्र.सं.	पदनाम/विभाग का नाम	अर्हताएं
1.	**सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग**	**अनिवार्य:**– (1) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से यांत्रिक अभियंत्रण में उपाधि रखता हो, या (2) इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) का मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का एक अर्ह एसोसियेट मेम्बर हो। **अधिमानी:**– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या (3) प्रशिक्षणार्थी के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो।
2.	**सहायक अभियन्ता (सिविल), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)**	**अनिवार्य:**– किसी व्यक्ति की सेवा की सिविल शाखा में सीधी भर्ती द्वारा तब तक भर्ती नहीं किया जायेगा जब तक कि :– (1) वह उक्त प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में स्नातक अथवा उसके समकक्ष उपाधि न रखता हो या (2) उसमें अभियन्ता संस्था (भारत) (इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया) की सहायक अभियन्ता सदस्यता/सदस्यता परीक्षा (एसोसिएट मेम्बरशिप/मेम्बरशिप) का भाग 'ए' और 'बी' उत्तीर्ण न किया हो। (नोट:– समकक्षता का तात्पर्य उ0प्र0 सरकार के अतिरिक्त भारत गणराज्य के अन्य प्रदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से सिविल में स्नातक उपाधि से है।) **अधिमानी:**– ऐसे अभ्यर्थी को:– जिसने (1) दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक प्रादेशिक सेना में सेवा की हो और (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सेवा में सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।
3.	**सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)**	**अनिवार्य:**– किसी व्यक्ति की सेवा की यांत्रिक शाखा में सीधी भर्ती द्वारा तब तक भर्ती नहीं किया जायेगा जब तक कि :– (1) वह उक्त प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से विद्युत और/या यांत्रिक अभियंत्रण में प्रदान की गयी स्नातक अथवा उसके समकक्ष उपाधि न रखता हो या (2) उसने विद्युत और/या यांत्रिक अभियंत्रण में अभियन्ता संस्था (भारत) की सहयुक्त सदस्यता/सदस्यता परीक्षा का भाग 'ए' और 'बी' उत्तीर्ण न किया हो। (नोट:– समकक्षता का तात्पर्य उ0प्र0 सरकार के अतिरिक्त भारत गणराज्य के अन्य प्रदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से विद्युत/यांत्रिक में स्नातक उपाधि से है।) **अधिमानी:**– ऐसे अभ्यर्थी को:– जिसने (1) दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक प्रादेशिक सेना में सेवा की हो और (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर, सेवा में सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।
4.	**सहायक अभियन्ता (सिविल), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग**	**अनिवार्य:**– (1) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या (2) पूर्णतया अर्ह सहयुक्त सदस्य जिसने सिविल अभियंत्रण में इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) का भाग 'क' और 'ख' उत्तीर्ण कर लिया हो। **अधिमानी:**– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने– (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
5.	**सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा)**	**अनिवार्य:**– भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से विद्युत या यांत्रिक अभियन्त्रण में उपाधि। **अधिमानी:**– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने– (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
6.	**सहायक अभियन्ता (सिविल), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा)**	**अनिवार्य:**– भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से सिविल अभियन्त्रण में उपाधि। **अधिमानी:**– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने– (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
7.	**सहायक अभियन्ता (सिविल) लोक निर्माण विभाग**	**अनिवार्य:**– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। **अधिमानी:**– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने– (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या (3) प्रशिक्षणार्थी के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। (नोट:– लोक निर्माण अनुभाग–4 के पत्र संख्या–23–4001(099)/14/2022–लोक निर्माण अनुभाग–4–लोक निर्माण विभाग, दिनांक 14.06.2024 के अनुसार– "or a qualification recognised by the Government as equivalent there to. या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता से तात्पर्य इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया का सिविल इंजीनियरिंग का अर्ह एसोसिएट मेम्बर अर्थात् AMIE प्रमाण–पत्र है।")
8.	**उ0प्र0 कृषि सेवा समूह 'ख' श्रेणी–2 (अभियन्त्रण शाखा), कृषि विभाग**	**अनिवार्य:**– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियन्त्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (नोट:– कृषि निदेशक, उ0प्र0 के पत्रांक–ए0ए0–545जी/ए–9, दिनांक 18.03.2024 के अनुसार समकक्ष अर्हता – ''कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि'') **अधिमानी:**– (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियन्त्रण में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (नोट:– कृषि निदेशक, उ0प्र0 के पत्रांक–ए0ए0–545जी/ए–9, दिनांक 18.03.2024 के अनुसार समकक्ष अर्हता – ''कृषि अभियांत्रिकी में परास्नातक उपाधि'') (2) ऐसे अभ्यर्थी को जिसने:– (i) दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक प्रादेशिक सेना में सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर, सेवा में सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।
9.	**सहायक निदेशक, ऊर्जा विभाग**	**अनिवार्य:**– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत अभियन्त्रण में स्नातक उपाधि अवश्य प्राप्त की हो या इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) के विद्युत अभियंत्रण का एसोसिएट मेम्बर अवश्य हो। **अधिमानी:**– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने– (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
10.	**सहायक अभियंता, (सिविल), सिंचाई एवं जल संसाधन निदेशालय**	**अनिवार्य:**– सहायक अभियन्ता के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हतायें होनी आवश्यक हैं– (1) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में उपाधि रखता हो, या (2) इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) का सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का एक अर्ह एसोसियेट मेम्बर हो। **अधिमानी:**– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने– (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या (3) प्रशिक्षणार्थी के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो।
11.	**सहायक अभियंता, (सिविल), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**	**अनिवार्य:**– (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि; या (2) इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया), (सिविल अभियंत्रण शाखा) का सहयुक्त सदस्य। (नोट:– उ0प्र0 सरकार के सार्वजनिक निर्माण अनुभाग–3 के गजट पत्र सं0–3428 ई0वी0आर0/23–(3)–7ई0वी0आर0–86 दिनांक 04.08.1987 की अधिसूचना जिसमें उ0प्र0 सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (बिल्डिंग एण्ड रोड्स ब्रांच) क्लास–टू (संशोधन) नियमावली 1987 के प्रस्तर–9 के स्तम्भ–2 में लिखित विवरण के अनुसार:– किसी व्यक्ति को सेवा में तब तक सीधी भर्ती नहीं किया जायेगा जब तक कि– (क) वह सरकार द्वारा समय–समय पर मान्यता प्राप्त किसी संस्था से अभियांत्रिकी स्नातक (सिविल) की उपाधि न रखता हो, या (ख) वह इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स (लन्दन) के एसोसियेट मेम्बरशिप इक्जामिनेशन का सेक्शन 'ए' और 'बी' उत्तीर्ण न हो, या (ग) वह सिटी एण्ड गिल्ड्स इंस्टीट्यूट (इम्पीरियल कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी साउथ केनसिंगटन) की सिविल अभियांत्रिकी में एसोसियेटशिप इक्जामिनेशन उत्तीर्ण न हो, या (घ) वह इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) का पूर्णतः अर्हता प्राप्त सहयुक्त सदस्य (एसोसिएट मेम्बर) न हो, परन्तु 06 अगस्त, 1966 से इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) के सेक्शन ''ए'' और ''बी'' को उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा, या (ङ) उसने केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित भारत के किसी विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो।) **अधिमानी:**– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने:– (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। परन्तु सहायक अभियंता (सिविल) के पद के लिये अभ्यर्थी जो एक प्रशिक्षु है की अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

नोट:– (i) आवेदन <u>Submit</u> किये जाने की अन्तिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है।
(ii) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।

9. **<u>आयु सीमा</u>**– **(1)** अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2024 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1984 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए।

(2) <u>अधिकतम आयु सीमा मे छूट</u>:– (क) उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उ0प्र0 राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों/कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1979 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(ख) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1969 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(ग) उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि +03 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी।

(घ) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता (यांत्रिक) पद हेतु उ0प्र0 अभियंता सेवा (सिंचाई विभाग) (समूह– 'ख') सेवा नियमावली, 2007 के नियम–10 (आयु) एवं **लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता (सिविल)** पद हेतु उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह– 'ख' सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के नियम–10 (आयु) में प्राविधानित व्यवस्थानुसार आयु सीमा के सम्बन्ध में निम्नानुसार छूट अनुमन्य है:–
ऐसे अभ्यर्थी के मामले में, जो प्रशिक्षणार्थी है, उच्चतर आयु की सीमा एक वर्ष अधिक होगी।

(ङ) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) में सहायक अभियंता (सिविल) एवं सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) पद हेतु उ0प्र0 जल निगम अभियंता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा नियमावली, 1978 के नियम–9(आयु) में प्राविधानित व्यवस्थानुसार आयु सीमा के सम्बन्ध में निम्नानुसार छूट अनुमन्य है:–
ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में जो पहले से पूर्ववर्ती स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग में नियुक्त किये गये हों और जिनका अनुमोदन लोक सेवा आयोग द्वारा न किया गया हो, विनियम–5(1)(क)(एक) के अधीन भर्ती के प्रयोजनार्थ आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(च) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा) में सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) एवं सहायक अभियंता (सिविल) पद हेतु उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 के नियम–11(आयु) में प्राविधानित व्यवस्थानुसार आयु सीमा के सम्बन्ध में निम्नानुसार छूट अनुमन्य है:–
(1) ऐसे व्यक्ति की स्थिति में जिसने विकास प्राधिकरण की किसी सेवा में एक वर्ष या अधिक की सेवा पहले ही कर ली हो, अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष, जितनी उसने निरन्तर सेवा की हो या सात वर्ष की अवधि के लिये, इसमें जो भी कम हो, अधिक होगी।
(2) ऐसा अभ्यर्थी जो अपनी आयु के समबन्ध में ऐसे किसी वर्ष में जिसमें कोई चयन न किया जाय, किन्तु कोई रिक्ति रही हो, किसी चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार था, अपनी आयु के सम्बन्ध में अगले चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार समझा जायेगा।

<u>10. सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के सम्बन्ध में कतिपय सूचनायें:–</u>

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु. 200/– एवं ऑन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/– योग रु. 225/– तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क रु. 80/– एवं ऑन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/– योग रु. 105/– निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें ऑन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/– मात्र देना होगा। उ0प्र0 के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क रु. 80/– एवं ऑन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/– योग रु. 105/– निर्धारित है। उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ियों के अभ्यर्थी जिस मूल श्रेणी से सम्बन्धित होंगे, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा।

(2) सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन एवं निर्धारित शुल्क सबमिट/जमा करना होगा।

(3) अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है।

(4) मुख्य परीक्षा हेतु तिथि तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसकी सूचना ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

(5) केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आहूत किये जायेंगे जो मुख्य परीक्षा के आधार पर सफल घोषित होंगे।

(6) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित आवेदन पत्रादि भरना होगा।

(7) विभिन्न पदों के लिए अधिमान्यताएं साक्षात्कार के समय माँगी जायेंगी, जो अन्तिम होंगी और तत्पश्चात् उनमें कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा एवं इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी प्रत्यावेदन/प्रार्थना–पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

(8) मूल प्रमाण पत्रों की जाँच साक्षात्कार के समय होगी, उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो सादे फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा।

(9) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(10) मुख्य परीक्षा के आधार पर सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है।

नोटः– अभ्यर्थियों द्वारा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा–2024 के आवदेन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

11. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेशः– (1) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा–3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(3) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।

(4) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा।

(5) कदाशय अर्थात् परीक्षा मे नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 दिनांक 6 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत् परीक्षा में लागू रहेंगे।

(6) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, O.T.R. No., Application ID, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

(7) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

(8) प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे तथा मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु तीन गुना अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे।

(9) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक को भरने में केवल ब्लैक बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें।

(10) अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना सम्बन्धित गोलों को काला करके सही–सही भरें जो स्कैनर मशीन द्वारा पढी जा सकें। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गई सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ह्वाइटनर, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग न किया जाये। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा मूल्याकंन नहीं किया जायेगा और उक्त के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

(11) वस्तुनिष्ठ प्रकारक परीक्षाओं में मा0 आयोग के निर्णय के क्रम में प्रयुक्त होने वाली उत्तर पत्रक तीन प्रतियों और रंगों में होगी, जिसमें प्रथम प्रति मूल प्रति–गुलाबी, द्वितीय प्रति संरक्षित प्रति–हरी तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी प्रति–नीली होगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् OMR Answer Sheet की मूल प्रति तथा संरक्षित प्रति अंतरीक्षक जमा कर लेंगे एवं तीसरी प्रति (अभ्यर्थी प्रति–नीली) अभ्यर्थी को देंगे।

(12) प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगीः– **1.** प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। **2.** यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जाएगा। **3.** यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिये कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

(13) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

(14) आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो।

(15) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूटरचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिये प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

(16) जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अतः उन अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिये जायेंगे।

सामान्य अनुदेश

1– अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

2– सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3– आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट–1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा कुशल खिलाड़ियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

4– **आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभ्यर्थियों को पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।**

5– स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियां (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/ अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र शासनादेश संख्या– 453/79–वी–1–15–1(का) 14–2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6– यदि अभ्यर्थी को ऑन–लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बाक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

7– आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिशिष्ट–1 पर, प्रारम्भिक परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम परिशिष्ट–2 पर, मुख्य परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम परिशिष्ट–3 पर, पद सम्बन्धी संगत सेवा नियमावलियों का विवरण परिशिष्ट–4; तथा रिक्तियों का विवरण परिशिष्ट–5 पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the online page there is a **'Declaration'** for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the **Declaration** carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on **'I Agree'** or **'I do not agree'** buttons. In case the candidate opts to **'I do not agree'**, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Acceptance of **'I Agree'** only will make possible the submission of the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name

Personnel Details from O.T.R.

This section shows information about candidate's personnel details i.e. O.T.R. Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges, Skilled Player, Outstanding Player of U.P., Debarred candidate.

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details

Declaration segment

At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successful submission report that you can print.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website **https://uppsc.up.nic.in**

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

:- NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS

- All Notification / Advertisements

:- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

- Candidate Registration
- Fee Deposition /Reconciliation
- Submit Application Form
- Modify Submitted Application
- Candidate Dashboard (OTR Based)

:- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION

- Double Verification mode
- View Application Status
- Download Admit Card
- Print Duplicate Registration Slip
- Print Detailed Application Form
- List of Applications Having ANY Objections
- View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट–1

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण–पत्र (प्रारुप–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ..... ग्राम . ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान ..... हस्ताक्षर.....

दिनांक ..... पूरा नाम.....

मुहर ..... पद नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र (प्रारुप–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....सुपुत्र/ सुपुत्री ..... निवासी .... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की .... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक

आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... पूरा नाम .....

मुहर ..... पद नाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।

(प्रपत्र–I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र संख्या ..... **दिनांक .....**

वित्तीय वर्ष ..... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पति/पुत्री ..... ग्राम/कस्बा ..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... पिन कोड ..... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:–

I. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति ..... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर .....(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम .....

पदनाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र–II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... ग्राम/कस्बा ..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... ब्लाक ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ।

1. मैं ..... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू ..... (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) ..... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।

I. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोटः– जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान :– **आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।**

दिनांकः–

उ0प्र0 के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रमाण–पत्र

दिव्यांगजन प्रारूप

Form-II

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. **Date:**

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age ____ years, male/female _____ registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post office _____ District _____ State _____.

whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is_____

(A) he/she has _____% (in figure)_____percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her_____

(in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/ blindness in relation to his/her_____ (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2.The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr.....) Member Medical Board with seal	(Dr.....) Member Medical Board with seal	(Dr.....) Chairperson Medical Board with seal

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-III

Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. **Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/YY) _____ age_____ years, male/ female _____.

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/ Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability @			
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision #			
8.	Blindness #			
9.	Deaf £			
10.	Hard of Hearing £			
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-

In figures.....percent.

In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/ after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till ....

(DD) (MM) (YY)

@ - e.g. Left/right/both arms/legs

\# - e.g. Single eye

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-IV

Certificate of Disability

(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. **Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/ YY) _____ age_____ years, male/ female_____.

Registration No._____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/ Street_____Post Office_____District_____ State_____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of _____ Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which is not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/ likely to improve/not likely to improve.
3. Reassessment of disability is:-
   (i) not necessary, or
   (ii) is recommended/after.....years..... months, and therefore this certificate shall be valid till.... .... (DD) (MM) (YY)
   @ - e.g. Left/right/both arms/legs
   # - e.g. Single eye/both eyes
   £ - e.g. Left/Right/both ears
4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... निवासी ग्राम– ..... नगर– ..... जिला– ..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) ..... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ..... के आश्रित हैं।

स्थानः हस्ताक्षर .....

दिनांकः पूरा नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी

(सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण–पत्र के फार्म – 1 से 4

प्रारूप –1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम ..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/ आत्मजा श्री ..... निवासी ..... पूरा पता ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित ..... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) ..... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोट : यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम ..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/ आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) ..... आयोजित राष्ट्रीय .....में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र ..... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोट : यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री ..... निवास (पूरा नाम) ..... विश्वविद्यालय की कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय ..... (क्रीड़ा/ खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद ..... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोट : यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) ..... में ..... स्कूल में कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ..... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोट : यह प्रमाण–पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा ..... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

परिशिष्ट–2

उ0प्र0 सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा परीक्षा

प्रथम चरण–प्रारम्भिक परीक्षा

परीक्षा–योजना

प्रश्न पत्र – एक (वस्तुनिष्ठ प्रकारक)

प्रश्नों की संख्या – 150 (सामान्य ज्ञान–25 प्रश्न, सामान्य हिन्दी–25 प्रश्न एवं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड–100 प्रश्न)

कुल अंक – 300 (प्रत्येक प्रश्न 2 अंक)

समयावधि – 2 घण्टा

प्रारम्भिक परीक्षा मात्र अर्हकारी होगी जिसमें मा0 आयोग द्वारा निर्धारित मानक प्रति पद 15 गुना अभ्यर्थी द्वितीय चरण (मुख्य परीक्षा) में सम्मिलित होने हेतु सफल किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा समय–समय पर लिये गये प्रक्रियागत निर्णय प्रभावी होंगे।

पाठ्यक्रम

सामान्य ज्ञानः– सामान्य ज्ञान के प्रश्न–पत्र समसामयिक घटनाओं और ऐसी बातों की उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए जानकारी सम्मिलित होगी जो प्रतिदिन के अनुभव में आती है तथा जिनकी किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। प्रश्न–पत्र में भारत का इतिहास, राजनीति और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किये बिना ही दे सकेंगे।

सामान्य हिन्दीः– हिन्दी का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जायेगा ताकि उम्मीदवार की हिन्दी भाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जाँच हो सके। इसका स्तर हाई स्कूल का होगा।

इंजीनियरिंग एप्टीट्यूडः–

1. डिजाइन और ड्राइंग के सामान्य सिद्धान्त
2. अभियांत्रिकी पदार्थ
3. ऊष्मागतिकी के मूल सिद्धान्त
4. जल संसाधन और संरक्षण प्रक्रियाएँ
5. परियोजना प्रबन्धन के मूल सिद्धान्त
6. औद्योगिक सुरक्षा और सुरक्षा मानक
7. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)
8. कृत्रिम बुद्धि और रोबोटिक्स के मूल सिद्धान्त

9. मशीनरी के रखरखाव के प्रकार
10. हरित ऊर्जा
11. मापन और मापयंत्रण के मूल सिद्धान्त
12. ऊर्जा रूपान्तरण के सिद्धान्त
13. आपदा प्रबन्धन
14. इंजीनियरिंग व्यवसाय में नैतिकता और मूल्य
15. गुणवत्ता नियंत्रण
16. बौद्धिक सम्पदा अधिकार
17. मानव स्वास्थ्य और स्वच्छता
18. उत्पादों का प्रहस्तन और भंडारण
19. जलवायु परिवर्तन
20. उत्पादन और निर्माण
21. अनुप्रयुक्त विज्ञान में अद्यतन विकास
22. दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका।

परिशिष्ट–3

द्वितीय चरण–मुख्य परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम

सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा परीक्षा हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नवत् दो प्रश्न–पत्र होंगेः–

प्रथम प्रश्न पत्र

	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	समय
1–	सामान्य हिन्दी	25 (प्रत्येक प्रश्न 3 अंक)	75	375	2.30 (ढाई) घण्टा
2–	मुख्य विषय (सिविल इंजी0–I, मैके0 इंजी0–I, विद्युत इंजी0–I, कृषि इंजी0–I)	100 (प्रत्येक प्रश्न 3 अंक)	300		

द्वितीय प्रश्न पत्र

	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	समय
1–	सामान्य अध्ययन	25 (प्रत्येक प्रश्न 3 अंक)	75	375	2.30 (ढाई) घण्टा
2–	मुख्य विषय (सिविल इंजी0–II, मैके0 इंजी0–II, विद्युत इंजी0–II, कृषि इंजी0–II)	100 (प्रत्येक प्रश्न 3 अंक)	300		

तृतीय चरण–व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) – **100 अंक**

कुल योग – **375 + 375 + 100 = 850 अंक**

पाठ्यक्रम

सामान्य हिन्दी– हिन्दी का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जायेगा ताकि उम्मीदवार की हिन्दी भाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जाँच हो सके। इसका स्तर हाई स्कूल का होगा।

सामान्य अध्ययनः सामान्य अध्ययन के प्रश्न–पत्र समसामयिक घटनाओं और ऐसी बातों की उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए जानकारी सम्मिलित होगी जो प्रतिदिन के अनुभव में आती है तथा जिनकी किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। प्रश्न–पत्र में भारत का इतिहास, राजनीति और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किये बिना ही दे सकेंगे।

CIVIL ENGINEERING

PAPER-1

PART-A

ENGINEERING MECHANICS, STRENGTH OF MATERIALS AND STRUCTURAL ANALYSIS.

Units and Dimensions, SI units, vectors, concept of force, Concept of particle and rigid body concurrent, Non-Concurrent and parallel forces in a plane, moment of force and varignon's theorem free body diagram, conditions of equilibrium Principle of virtual work, equivalent force system.

First and second Moment of area, Mass moment of inertia, Static Friction, inclined plane and bearings, kinematics and kinetics, kinematics in Cartesian and Polar Coordinates, motion under uniform and non-uniform acceleration, motion under gravity, Kinetics of particle: Momentum and Energy principles, D Alembert's principle, Collision of elastic bodies, rotation of rigid, bodies, simple harmonic motion.

STRENGTH OF MATERIALS:

Simple Stress and Strain, Elastic constants, axially loaded compression members, Shear force and bending moment, theory of simple bending, bending stress, Shear Stress, beams of uniform strength, Leaf Spring, close coiled helical springs, Strain Energy in direct Stress, bending & Shear. Deflection of beams; Macaulay's method, Mohr's Moment area method, Conjugate beam method, unit load method, Torsion of Shafts, Transmission of power, Elastic stability of columns, Euler's Rankin's and Secant formulae. Principal stresses and strains in two dimensions, Mohr's Circle, Theories of Elastic Failure, Thin and Thick cylinder, Stresses due to internal and external pressure-Lame's equations.

STRUCTURAL ANALYSIS: Castiglianios theorems I and II, Unit load method of consistent deformation applied to beams and pin jointed trusses. Slope-deflection, moment distribution, Kani's method of analysis and column Analogy method applied to indeterminate beams and rigid frames. Rolling loads, and influence lines: Influence lines for reactions of beam, shear force and bending moment at a section of beam. Criteria for maximum shear force and bending moment in beams traversed by a system of moving loads, influence lines for simply supported plane pin jointed trusses, Arches: Three hinged, two hinged and fixed arches, rib shortening and temperature effects, influence lines in arches, Matrix methods of analysis: Force method and displacement method of analysis of indeterminate beams and rigid frames. Plastic Analysis of beams and frames: Theory of plastic bending, plastic analysis, statical method, Mechanism method. Unsymmetrical bending: Moment of inertia, product of inertia, position of neutral axis and principal axis, calculation of bending stresses.

PART-B

DESIGN OF STRUCTURES: STEEL, CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES.

STRUCTURAL STEEL DESIGN:

Structural steel: Factors of safety and load factors, rivetted, bolted and welded joints and its connections, Design by working, stress/limit state method of tension and compression member, beams of built up section, rivetted and welded plate girders, gantry girders, stancheons with battens and lacings, slab and gussetted column bases, Design of highway and railway bridges: Through and deck type plate girder, Warren girder, Pratt truss.

DESIGN OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES:

Reinforced Concrete: Working Stress and Limit State Method of design-Recommendations of B.I.S. codes, design of one way and two way slabs, stairs-case slabs, simple and continuous beams of rectangular, T and L sections, compression members under direct load with or without eccentricity, isolated and combined footings, Cantilever and counter-fort type retaining walls, Water tanks: Design requirements as per B.I.S. code for rectangular and circular tanks resting on ground, Prestressed concrete: Methods and systems of prestressing, anchorages, analysis and design of sections for flexure based on working stress, losses of prestress, Earthquake resistant design of building as per BIS code. Design of brick masonry as per I. S. Codes, Design of masonry retaining walls.

PART - C

Building Materials, Construction Technology, Planning and Management Building Materials: Physical properties of construction materials with respect to their use: stones bricks, tiles, lime, glass, cement, mortars, Concrete, concept of mix design, pozzolans, plasticizers, super plasticizers, Special concrete: roller compacted concrete, mass concrete, self compacting concrete, ferro cement, fibre reinforced concrete, high strength concrete, high performance concrete, Timber: properties, defects and common preservation treatments, Use and selection of materials for various uses e.g. Low cost housing, mass housing, high rise buildings.

Constructions Technology, Planning and Management:

Masonry constructions using brick, stone, construction detailing and strength characteristics paints, varnishes, plastics, water proofing and damp proofing materials. Detailing of walls, floors, roofs, staircases, doors and windows. Plastering, pointing, flooring, roofing and construction features. Retrofitting of buildings, Principle of planning of building for residents and specific uses, National Building code provisions and uses. Basic principles of detailed and approximate estimating, specifications, rate analysis, principles of valuation of real property. Machinery for earthwork, concreting and their specific uses, factors effecting selection of construction equipments, operating cost of equipments. Construction activity, schedules, organizations, quality assurance principles. Basic principle of network CPM and PERT uses in construction monitoring, cost optimization and resource allocation. Basic principles of economic analysis and methods. Project profitability: Basis principles of financial planning, simple toll fixation criterions.

PART - D

GEO TECHNICAL ENGINEERING AND FOUNDATION ENGINEERING

Types of soils, phase relationships, consistency limits particles size distribution, classifications of soils, structure and clay mineralogy. Capillary water, effective stress and pore water pressure, Darcy's Law, factors affecting permeability, determination of permeability, permeability of stratified soil deposits. Seepage pressure, quick sand condition, compressibility and consolidation, Terzaghi's theory of one dimensional consolidation, consolidation test.

Compaction of soil, field control of compaction total stress and effective stress parameters, pore pressure parameters, shear strength of soils, Mohr Coulomb failure theory, shear tests.

Earth pressure at rest, active and passive pressures, Rankin's theory Coulomb's wedge theory, Graphical method of earth pressure on retaining wall, sheetpile walls, braced excavation, bearing capacity, Terzaghi and other important theories, net and gross bearing pressure.

Immediate and consolidation settlement, stability of slope, total stress and effective stress methods, conventional methods of slices, stability number. Subsurface exploration, methods of boring, sampling, penetration tests, pressure meter tests, essential features of foundation, types of foundation, design criteria, choice of type of foundation, stress distribution in soils, Boussinessq's theory, Westergaard method, Newmarks chart, pressure bulb, contact, pressure, applicability of different bearing capacity theories, evaluation of bearing capacity from filed tests, allowable bearing capacity, settlement analysis, allowable settlement, proportioning of footing, isolated and combined footings, rafts, pile foundation, types of piles, plies capacity, static and dynamic analysis, design of pile groups, pile load test, settlement of piles lateral loads, foundation. for bridges, Ground improvement techniques: sand drains, stone columns, grouting, soil stabilization geotextiles and geomembrane, Machine foundation: Natural frequency, design of machine foundations based on the recommendation of B.I.S. codes.

CIVIL ENGINEERING PAPER-II

Part - A

FLUID MECHANICS, OPEN CHANNEL FLOW, HYDRAULIC MACHINES AND HYDROPOWER ENGINEERING.

Fluid Mechanics: Fluid properties and their roles in fluid motion, fluid statics including forces acting on plane and curved surfaces, Kinematics and Dynamics of Fluid flow: Velocity and acceleration, stream lines, equation of continuity, irrotational and rotational flow, velocity potential and stream functions, flownet, methods of drawing flownet, source and sink, flow separation, free and forced vorties.

Flow control volume equation, continuity, momentum and energy equations, Navier-Strokes equation, Euler's equation of motion and application to fluid flow problems, pipe flow, plane, curved, stationary and moving vanes sluice gates, weirs, orifice meters and Venturi meters.

Dimensional Analysis and Similitude: Buckingham's Pi-theorem, dimensionless parameters, similitude theory, model laws, undistorted and distorted models.

Laminar Flow: Laminar flow between parallel, stationary and moving plates, flow through pipes.

Boundary Layer: Laminar and turbulent boundary layer on a flat plate, laminar sub-layer, smooth and rough boundaries, submerged flow, drag and lift and its applications. Turbulent flow through pipes: Characteristics of turbulent flow, velocity distribution, pipe friction factor, hydraulic grade line and total energy line, siphons, expansion and contractions in pipes pipe networks, water hammer in pipes and surge tanks.

Open Channel Flow: Flow types, uniform and nonuniform flows, momentum and energy correction factors, Specific energy and specific force, critical depth, resistance equations and roughness coefficient, rapidly varied flow, flow in transitions, Brink flow, Hydraulic jump and its applications, waves and surges, gradually varied flow, classification of surface profiles, control section, Integration of varied flow equation and their solution.

HYDRAULIC MACHINES AND HYDROPOWER:

Centrifugal pumps-Types, characteristics, Net Positive Suction-head (NPSH), specific speed, Pumps in series and parallel. Reciprocating pumps, Air vessels, Hydraulic ram, efficiency parameters, Rotary and positive displacement pumps, diaphragm and jet pumps.

Hydraulic turbines: types, classification, Choice of turbines, performance parameters, controls, characteristics, specific speed. Principles of hydropower development: Types, layouts and component works, surge tanks, 'types and choice, Flow duration curves and dependable flow, Storage and pondage, Pumped storage plants, Special types of hydel plants.

Part - B

Hydrology and Water Resources Engineering

Hydrology: Hydrologic cycle, precipitation, evaporation, transpiration, infiltration, overland flow, hydrographs, flood frequency analysis, flood routing through a reservoir, channel flow routing- Muskingam method.

Ground Water flow: Specific yield, storage coefficient, coefficient of permeability, confined and unconfined aquifers, radial flow into a well under confined and unconfined conditions, Open wells and tube wells. Ground and surface water recourses single and multipurpose projects, storage capacity of reservoirs, reservoir losses, reservoir sedimentation. Water requirements of crops consumptive use, duty and delta, irrigation methods, Irrigation efficiencies.

Canals: Distribution systems for canal irrigation, canal capacity, canal losses, alignment of main and distributory canals, Design of canal by kennedy's and Lacey's theory, Water logging and its prevention.

Diversion head works: Compenents, Principles and design of weirs on permeable and impermeable foundations, Khosla's theory, Bligh's creep theory Storage works. Cross drainage works.

Types of dams, design principles of gravity and earth dams, stability analysis. Spillways: Spillway types energy dissipation.

River training: Objectives of river training, methods of river training and bank protection.

Part-C

Transportation Engineering

Highway Engineering: Principles of Highway alignments, classification and geometric design, elements and standards for roads.

Pavement: flexible and rigid pavements Design principles and methodology Construction methods and materials for stabilized soil. WBM, Bituminous works and Cement Concrete roads.

Surface and sub-surface drainage arrangements for roads, culvert structures. Pavement distresses and strengthening by overlays.
Traffic surveys and their application in traffic planning, Typical design features for channelized, intersection, rotary etc., signal designs, standard traffic signs and markings.
Railway Engineering: Permanent way, ballast, sleeper, chair and faslenings, points, crossings, different types of turn outs, cross-over, setting out of points, Maintenance of track, super elevation, creep of rails ruling gradients, track resistance tractive effort, curve resistance, Station yards and station buildings, platform sidings, turn outs, Signals and interlocking, level crossings.
Air port Engineering: Layouts, Planning and design.

Part - D

Environmental Engineering

Water supply: Estimation of water demand, impurities in water and their significance, physical, chemical and bacteriological parameters and their analysis, waterborne diseases, standards for potable water.
Water collection & treatment: Intake structures, principles and design of sedimentation tank, coagulation cum flocculation units slow sand filter, rapid sand filter and pressure filter, theory & practices of chlorination, water softening, removal of taste and salinity, Sewerage Systems, Domestic and industrial wastes, storm, sewage, separate and combined systems, flow through sewers, design of sewers.
Waste water characterization: Solids, Dissolved oxygen (DO), BOD, COD, TOC, and Nitrogen, Standards for disposal of effluent in normal water course and on to land.
Waste water treatment: Principles and design of wastewater Treatment units-, Screening, grit chamber, sedimentation tank activated sludge process, trickling filters, oxidation ditches, oxidation ponds, septic tank; Treatment and disposal of sludge; recycling of waste water.
Solid waste management: Classification, Collection and disposal of solid waste in rural and urban areas, Principles of solid waste management.
Environmental pollution: Air and water pollution and their control acts. Radioactive waste and their disposal Environmental impact assessment of Thermal power Plants, mines and river valley projects, Sustainable development.

Part-E

Survey and Engineering Geology

(a) Surveying: Common methods and instruments for distance and angle measurements in Civil Engineering works, their use in plane table traverse survey, levelling, triangulation, contouring and topographical maps. Survey layouts for culverts canal, bridge, roads, railway alignment and buildings.
Basic principles of photogrammetry and remote sensing.
Introduction to Geographical information system.

Engineering Geology

Basic concepts of Engineering geology and its applications in projects such as dams, bridges and tunnels.

MECHANICAL ENGINEERING

PAPER-I

1. Engineering Mechanics:
Analysis of force systems, friction, cendtroid and centre of gravity, trusses and beams principle of virtual work, kinematics and kinetics of particle, kinematics and kinetics of rigid bodies.
2. Mechanism and Machines:
Velocity and acceleration of links, cams and followers gears and gear trains clutches, belt drives, brakes and dynamometers, Flywheel and governors, balancing of rotating and reciprocating masses, balancing of multi cylinder engines, Free and forced vibration damped vibration, whirling of shafts.
3. Mechanics of Solids:
Stresses and strains, compound stresses strains, Torsion of circular shafts, stresses and deflections in beams unsymmetrical bending, curved beams, Thin and thick cylinders and spheres, Buckling of columns, Energy methods, helical and leaf springs.
4. Design of Machine Elements:
Design for Static and dynamic loading, Theories of failure, fatigue principles of design of rivetted, welded and bolted joints, shafts, springs, bearings, brakes, clutches and flywheels.
5. Engineering Materials:
Crystal systems and crystallography, crystal imperfections, Alloys and phase diagrams, Heat treatment, ferrous and non ferrous metals and alloys, Mechanical properties and testing.
6. Manufacturing: Metal casting, metal forming, metal joining, Mechanics of metal cutting, machining and machine tool operations, unconventional machining methods limits, fits and tolerances, inspection: Surface roughness, comparators, computer integrated manufacturing, Flexible manufacturing systems, jigs and fixtures
7. Industrial Engineering:
Production, planning and control, inventory control and operation, research, CPM and PERT.
8. Mechatronics and Robotics:
Microprocessors and microcontrollers, Architecture, Programming, Computer interfacing Programmable logic controller, sensors and actuators, Piezoelectric accelerometers, Hall effect sensors, optical encoder, resolver, Inductosyn, Pneumatic and Hydraulic Actuators, stepper motor, control system, mathematical modeling, control signals, controllability and observability, Robotics: Robot classification, robot specification. Notation: Direct and inverse kinematics homogeneous co-ordinates and arm equation of four axix SCARA Robot.

MECHANICAL ENGINEERING

PAPER-II

1. Thermodynamics:
Thermodynamic systems and processes, properties of pure substances, concepts and applications of zeroth, first and second law of thermodynamics, entropy, availability and irreversibility, detailed analysis of thermodynamic cycles, ideal and real gases, fuels and combustion.
2. Fluid Mechanics:
Basic concepts and properties of fluids, manometry, fluid statics, buoyancy, equations of motion, Bernoulli's equation and applications, viscous flow of incompressible fluids, laminar and turbulent flows, flow through pipes and head losses in pipes, dimensional analysis, Forces on immersed bodies and boundary layer over a flat plate, isentropic and adiabatic flows, normal shock waves.
3. Heat Transfer:
Modes of heat transfer, steady and unsteady heat conduction, thermocouple time constant, critical thickness of insulation, heat transfer from fins, momentum and energy equations for boundary layer flow on a flat plate. Free and forced convection, radiation heat transfer, Stefan-Boltzmann law, shape factor, black and grey body radiation heat exchange, boiling and condensation, heat exchanger analysis, LMTD and NTU - effectiveness methods.
4. Energy conversion:
SI and CI engines, performance characteristics and testing of IC engines, combustion phenomena in SI and CI engines, carburetion and fuel injection systems, emissions and emission control. Reciprocating and rotary pumps, pelton wheel, Francis and Kaplan turbines, velocity diagrams impulse and reaction principles steam and gas turbines; Rankine and Brayton cycles with regeneration and reheat, high pressure boilers, draft, condensers. Unconventional power systems, including nuclear, MHD, biomass, wind and tidal systems, utilization of solar energy; Reciprocating and rotary compressors; theory and applications, Theory of propulsions, pulsejet and ramjet engines.
5. Environmental control:
Vapour compression, vapour absorption, steam jet and air refrigeration systems, properties of refrigerant and their nomenclature, psychometrics properties and processes psychrometic relations, use of pschrometic chart, load estimation, supply air conditions sensible heat factors, air conditioning system layout, comfort chart, comfort and industrial air conditioning.

ELECTRICAL ENGINEERING

PAPER - I

Networks and Systems: Steady-state and Transient-state Analysis of systems Thevenin's-, Norton's-, Superposition- and Maximum Power Transfer-theorems, Driving point Transfer functions, Two-port networks, Laplace and Fourier transforms and their applications in Network analysis, Z-transforms for discrete systems, R-L, R-C & L-C network synthesis.
E.M. Theory: Analysis of electrostatic and magnetostatic fields, Laplace, Poission and Maxwell equations, solution of boundary value problems, electromagnetic wave propagation, ground and space waves, Propagation between Earth Station and Satellites.
Control systems: Mathematical modelling of dynamic linear continuous systems, Block diagrams and Signal flow graphs, time-response specifications, steady-state error, Routh-Hurwitz criterion, Nyquist techniques, Root Loci, Bode Plots, Polar Plot, and stability analysis, Lag-, Lead-, Lag-Lead-compensation, state-space modelling, state transition matrix, controllability and observability.
Elements of Electronics: Basics of semiconductor diodes, BJT, FET and their chracteristics, different types of transistors and FET amplifiers equivalent circuits and frequency response, feedback oscillators, colpitts oscillator and Hartley Oscillator, Operational amplifiers-chracteristics and applications.
Power System Analysis and Design: Line parameters and calculations, Performance of Transmission lines. Mechanical design of overhead lines and Insulators, Corona and radio interference Parameters of single- and three-core Cables, Bus admittance matrix, Load flow equations and methods of solutions, Fast-decoupled load flow, Balance- and Unbalanced-faults analysis, Power system stability, Power system transients and travailing Waves, EHV Transmission, HVDC transmission, Concepts of FACTS, Voltage Control and Economic operation, Concepts of distributed generation, solar and wind power, smart grid concepts.
Elements of Electrical Machines:- General concepts of E.m.f., m.m.f., and torque in rotating machines, DC Machines: motor and generator characteristics, equivalent circuits, commutation and amature reaction, starting and speed controls of motors; Synchronous Machines: performance, regulation, Parallel operation of generators, motor starting, characteristics and applications, Transformers: phasor-diagram and equivalent circuit, efficiency, and voltage regulation, auto-transformers, 3-phase transformers.
Measurement: Basic methods of measurement, Precision and standards, error analysis, Bridges and Poteniometers; moving coil, Moving iron, dynamometer and induction type instruments, measurement of voltage, current, power, energy, and power factor Instrument transformers, digital voltmeters and multimeters, phase-, time- and frequency measurement. Q-meters Oscilloscopes, Basics of sensors, and data acquisition system, Instrumentation systems for pressure and temperature measurements.

ELECTRICAL ENGINEERING

PAPER - II

Power Electronics and Drives: Semiconductor, power,. diodes, transistors, thyristors triacs, GTOS, MOSFETS and IGBTS static characteristics and principles of operation, triggering circuits single phase and threephase controlled rectifiers-fully controlled and half controlled, smoothing and filters regulated power supplies, DC-DC choppers and Inverters, speed control circuits for DC and A.C. drives, Basics of electric drives: types, quadrant operation, reversing and braking of electric motors, estimation of power ratings, traction motors.
Digital Electronics: Boolean algebra, logic gates, combinational and sequential logic circuits, multiplexers, muiltivibrators, sample and hold circuits, A/D and D/A converters, basics of filter circuits and applications, active filters, semiconductor memories.
Microwaves and Communication systems: Electromagnetic wave in guided media, wave guide components, resonators, microwave tubes, microwave generators and amplifiers.
Analog Communication basics: modulation and demodulation, noise and bandwidth, transmitters and receivers, signal to noise ratio, digital communication basics, sampling quantizing, coding frequency- and time-domain multiplexing, sound and vision broadcast antennas, transmission lines at audio and ultra-high frequencies.
Induction and special Machines: Three-phase Induction motors Rotating magnetic field, Torque-slip characterstics, Equivalent Circuit and determination of its parameters, starters, speed control, Induction generators. Single phase Induction motors: Theory and phasor diagrams, characteristics, starting and applications, repulsion motor, series motor: E.m.f. equation and phasor diagram and performance, servomotors, stepper motors, reluctance motors, brushless DC motors (BLDC).
Power system protection and Switch gear: Methods of Arc Extinction, Restriking voltages and recovery voltage, testing of circuit breakers, Protective relays, protective schemes for power system equipment, surges in transmission line and protection.
Numerical Methods: Solution of non liner algebraic equations, single and multisteps methods for solution of differential equations.
Electrical Engineering Materials: Crystal structure and defects, conducting, insulating and magneting Materials, super-conductors.
Elements of Microprocessors: Data representation and representation of integer and floating point-numbers. Organization and programming of a microprocessor, ROM and RAM memories CPU of a microcomputer, interfacing memory and I/O devices, Programmable peripheral and communication interface. Application of microprocessors.

AGRICULTURAL ENGINEERING

PAPER-I

(a) Thermodynamics and Heat Engines: Concept of energy, temperature and heat equations; laws of thermodynamics, pure substances and their properties; entropy Rankine, air standard Otto, Diesel and Joule cycles; indicator diagrams.
(b) Farm Power: Sources and status of power in India; farm power and agricultural productivity relationship; construction and operational features of IC engines, various system of IC engine namely carburetion, ignition, cooling, lubrication; valves and valve timing, special features of diesel engines, tractors and their classification, power transmission, repair and maintenance; tractor testing, and tractor economics; power tillers -their economics and suitability, Energy in Agriculture.
(c) Farm Machinery: Design, construction, operation, repair and maintenance of tillage tools, implements and equipment viz. mould board and disk plough; harrows, cultivators, rotary tiller, seeding and planting machines, hoe, weeders, sprayers and dusters; harvester, threshers and combines; soil and crop factors influencing machine performance and energy requirements; selection of farm machines, economics of agricultural mechanization. Earth moving machineries.

(d) Heat and Mass Transfer: Thermal properties of materials; steady state and transient heat conduction, natural and forced convection; boiling, condensation, thermal radiation exchange, Heat exchangers, heat and mass transfer analogy; Fick's laws of diffusion, psychrometrics; analysis of heat and mass transfer processes, instrument and measurement systems.

(e) Process and Food Engineering: Unit operations in post harvest processing (cleaning, grading, drying, size reduction, evaporation, pasteurization, distillation etc.); processing of cereals, pulses, oilseeds, fruits & vegetables, animal feed, spices, dairy products, meat etc.; design of processing equipment and systems, milking machines.

(f) Storage and handling: Changes in stored products during storage; storage of food grains and their products, perishables (vegetable, fruits, dairy product, meat and eggs) storage system- air tight ventilated, refrigerated, modified atmospheric and controlled atmospheric storages; packaging; conveyors; design and management of storage and handling systems. Reducing losses in storages and handling.

AGRICULTURAL ENGINEERING

PAPER-II

(a) Hydraulics and Fluid Mechanics: Fluid properties, units and dimensions: surface tension and capillarity, equation of continuity, Bernoulli equation, Laminar and turbulent flow, steady and unsteady flow, Flow of fluids in pipes and open channels, design of open channels for non erosive and non silting velocities, most economical cross section, measurement of irrigation water and other water measuring devices viz. weirs, notches, orifices and flumes.

(b) Surveying and Leveling: Linear measurements; survey methods and devices used; principle of leveling, simple, differential and profile leveling; Contouring and characteristics of contour lines; Land leveling and grading, earth work estimation.

(c) Soil and Water Conservation Engineering: Forms of precipitation; hydrologic cycle; Point rainfall analysis, frequency analysis, agricultural watershed and its management; water management in agri-horti-aquaculture system, mechanics of water and wind erosion; Rational method of prediction of peak runoff and its limitations; concept of unit hydrograph and instantaneous hydrograph; factors affecting erosion and runoff; water erosion control measures - contour cultivation, strip cropping, terracing, afforestation pastures; Design of gully control structures - temporary and permanent; stream bank erosion; flood routing; flood amelioration by upstream soil water management; wind erosion control measures and sand dunes stabilization.

(d) Irrigation Pumps: Design, construction, performance characteristics, selection installation, servicing and maintenance of different pumps (reciprocating, centrifugal gear, turbine, submersible, propeller, jet); Hydraulic ram; Renewable and non-renewable power sources for pumping solar pumps.

(e) Irrigation and Drainage Engineering: Water wealth and irrigation in India; Soil water plant relationship; Forms and occurrence of soil water; methods and devices for soil moisture measurement; water requirement of crops; irrigation scheduling; irrigation methods their hydraulics and design flood, border, furrow, sprinkler and drip irrigation, concept of irrigation efficiencies; water conveyance and control; Design of canals. Lacey and Kennedy's theories.

Drainage needs and its benefits; Darcy's Law, hydraulic conductivity; drainage coefficient; drainage methods, surface drainage (drainage of flat and sloping lands); design of open ditches their alignment and construction; designs and layout of subsurface drains; depth and spacing of drains and drainage outlets; installation of drains and drainage wells; drainage of salt affected areas.

(f) Ground Water Hydrology and Tube well Engineering: Occurrence and movement of ground water, steady and transient flow into wells, well interference, well drilling, design of well assembly and gravel pack, installation of well screen, completion and development of wells.

(g) Rural Engineering: Building materials and their properties; Farm stead planning, and design of dairy barns; poultry, goat-sheep, and piggery housing: selection of site. planning and design of rural houses, farm roads, village drainage; waste disposal and sanitary structures; cost estimates, green house construction.

परिशिष्ट–4

पदों की संगत सेवा नियमावलियों का विवरण

- उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (सिंचाई विभाग) (समूह–'ख') नियमावली, 2007
- उत्तर प्रदेश जल निगम अभियंता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा विनियमावली, 1978 (यथासंशोधित)
- उ0प्र0 ग्रामीण अभियंत्रण (समूह–'ख') सेवा नियमावली, 1993 (यथासंशोधित)
- उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 (यथासंशोधित)
  उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1985
  उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1984
- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग समूह–'ख' सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 (यथासंशोधित)
- उत्तर प्रदेश कृषि समूह–'ख' सेवा नियमावली, 1995
- उत्तर प्रदेश अभियंत्रण (विद्युत सुरक्षा निदेशालय) सेवा नियमावली, 2002
- उत्तर प्रदेश सिविल अभियंता सेवा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सेवा नियमावली, 1998 (यथासंशोधित)
  उत्तर प्रदेश सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (बिल्डिंग एण्ड रोड्स ब्रांच) क्लास–टू (संशोधन) नियमावली, 1987
- उत्तर प्रदेश सहायक अभियंता सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2014
  उत्तर प्रदेश सहायक अभियंता सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018

परिशिष्ट–5

रिक्तियों का विवरण

(i) सामान्य चयन

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	शाखा	रिक्तियों की संख्या	UR	SC	ST	OBC	EWS	DFF	PH	ExS	Fem
1.	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	यांत्रिक	77	55	06	04	05	07	01	04 (LV-01, HH-01, OA-02)	03	15
2.	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)	सहायक अभियन्ता (सिविल)	सिविल	107	44	22	02	29	10	02	04 (OA-02, HH-02)	05	21
3.	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)	सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक)	यांत्रिक	14	06	03	00	04	01	00	00	00	02
4.	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	सहायक अभियन्ता (सिविल)	सिविल	65	29	17	02	11	06	01	02 (HH-01, OA-01)	03	13
5.	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा)	सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक)	विद्युत / यांत्रिक	08	04	04	00	00	00	00	00	00	01
6.	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा)	सहायक अभियन्ता (सिविल)	सिविल	40	26	10	00	02	02	00	02 (B-01, D-01)	02	08
7.	लोक निर्माण विभाग	सहायक अभियन्ता (सिविल)	सिविल	226	72	76	01	55	22	04	09 (HH-05, OA-01, OL-01, Dw-01, AAV-01)	11	45
8.	कृषि विभाग	उ0प्र0 कृषि सेवा समूह–'ख' श्रेणी–2 (अभियंत्रण शाखा)	कृषि	12	05	04	00	02	01	00	00	00	02
9.	ऊर्जा विभाग	सहायक निदेशक	विद्युत	07	04	02	00	01	00	00	00	00	01
10.	सिंचाई एवं जल संसाधन निदेशालय	सहायक अभियन्ता (सिविल)	सिविल	20	09	04	00	05	02	00	01 (LV-01)	01	04
11.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सहायक अभियन्ता (सिविल)	सिविल	06	04	00	00	02	00	00	00	00	01
			कुल रिक्तियाँ	**582**	**258**	**148**	**09**	**116**	**51**	**08**	**22**	**25**	**113**

(ii) विशेष चयन

12.	सिंचाई एवं जल संसाधन निदेशालय	सहायक अभियन्ता (सिविल)	सिविल	22 (OBC/ST)	00	00	03	19	00	00	01 (HH-01)	01	04

- **शासनादेश संख्या–3 / 2021 / 324 / 2021 / 65–3–2021–78 / 99टी.सी., दिनांक 30 जुलाई, 2021 के अनुसार दिव्यांगजन की चिन्हांकित उपश्रेणियों का पदवार विवरण निम्नवत् है:–**

क्र.सं.	पदनाम	दिव्यांगजन की चिन्हांकित उपश्रेणियाँ
1.	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0
2.	सहायक अभियन्ता (सिविल), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)	ओ0ए0, एच0एच0
3.	सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0
4.	सहायक अभियन्ता (सिविल) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0
5.	सहायक अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा)	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0, एम0डी0वाई0, डी0, एच0एच0, बी0, एल0वी0
6.	सहायक अभियन्ता (सिविल), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा)	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0, एम0डी0वाई0, डी0, एच0एच0, बी0, एल0वी0
7.	सहायक अभियन्ता (सिविल) लोक निर्माण विभाग	ओ0ए0, ओ0एल0, एच0एच0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0
8.	उ0प्र0 कृषि सेवा समूह–'ख' श्रेणी–2 (अभियन्त्रण शाखा), कृषि विभाग	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0
9.	सहायक निदेशक ऊर्जा विभाग	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0
10.	सहायक अभियंता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन निदेशालय	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0
11.	सहायक अभियंता (सिविल), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, सी0पी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0

- **उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।**

सचिव